# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

**सर्कुलर रोड, रांची–834001**

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–11/11/2019

## विज्ञापन

विज्ञापन संख्या – 05/2019

**(संयुक्त सहायक अभियन्ता सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा)**

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–3223(S)WE दिनांक–01.07.2019, पत्रांक–3520(S)WE दिनांक–18.07.2019 पत्रांक–3518(S)WE दिनांक–18.07.2018 पत्रांक–4571(S)WE दिनांक–14.09.2019 पत्रांक–3992(S)WE दिनांक–08.08.2019 पत्रांक–3746(S)WE दिनांक–26.07.2019 एवं पत्रांक–3747(S)WE दिनांक–26.07.2019 के द्वारा क्रमशः पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (असैनिक) एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

| SL. No. | Services | Name of Post | Total vacancies | | Vertical Reservation | | | | | | Horizontal Reservation against total vacancy | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Civil | Mecha-nical | UNR | EWS | ST | SC | BC-I | BC-II | Women | Sports | Handicapped reserved | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Blind | Deaf & Dumb | Loco-motive | Autism & Multiple Disability |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | पथ निर्माण विभाग | सहायक अभियन्ता (असैनिक) | 228 | - | 116 | 22 | 74 | 10 | 03 | 03 | 11 | 05 | 03 | 03 | 02 | 02 |
| 2. | जल संसाधन विभाग | सहायक अभियन्ता (असैनिक) | 288 | - | 151 | 28 | 52 | 14 | 24 | 19 | 14 | 06 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 3. | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | सहायक अभियन्ता (असैनिक) | 26 | - | 08 | 02 | 02 | 04 | 05 | 05 | 01 | - | 01 | 01 | - | - |
| 4. | जल संसाधन विभाग | सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) | - | 84 | 47 | 08 | 12 | 05 | 05 | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 5. | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) | - | 11 | 07 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | - | - | 01 | - | - | - |
| **Total** | | | 542 | 95 | 329 | 61 | 141 | 33 | 38 | 35 | 30 | 13 | 09 | 08 | 06 | 06 |

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट–बढ़ सकती है।

2. (क) पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या–06/2015 (संयुक्त सहायक अभियन्ता सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा) को रद्द किया जाता है तथा इसके विरूद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन देने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में यथास्थान विभाग की प्राथमिकता क्रमवार संबंधित कोष्ठ में अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से

अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार के संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 के आलोक में न्यूनतम अर्हत्तांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात बैकलॉग नहीं होगा।

3. **वेतनमानः– PB-II 9300–34800 ग्रेड पे–5400 (level-9),**
4. **परीक्ष्यमान अवधि–02 (दो) वर्ष**
5. **पद – स्थायी**
6. उम्र गणना की सन्दर्भ तिथिः–

| क्र0सं0 | विभाग | Cut off date (for counting age) |
|---|---|---|
| i | पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद हेतु | 01.08.2013, 01.08.2015 एवं 01.08.2019 |
| ii | जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) के पद हेतु | 01.08.2013 एवं 01.08.2019 |
| iii | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) के पद हेतु | 01.08.2013 एवं 01.08.2019 |

**नोटः– उम्र गणना की संदर्भ तिथि क्रमशः 01.08.2013 एवं 01.08.2015 मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है जिनके द्वारा पूर्व विज्ञापन संख्या–06/2015 के विरूद्ध आवेदन किया गया है।**

7. न्यूनतम उम्र सीमाः– 21 वर्ष
8. अधिकतम उम्रसीमाः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 के आलोक में निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | कोटि | अधिकतम उम्र सीमा |
|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित | 35 वर्ष |
| 2. | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) | 37 वर्ष |
| 3. | महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) | 38 वर्ष |
| 4. | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) | 40 वर्ष |

नोटः–

(i) **झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पांच) वर्षों की छूट दी जायेगी। संविदा पर कार्यरत कर्मियों/दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ देय नहीं है।**

(ii) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–7636 दिनांक–12.10.2018 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10(दस) वर्षों की छूट दी जायेगी।**

(iii) **भूतपूर्व सैनिकों (Ex-service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट देय है।**

**9. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :– झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के अनुसूची–III A (I) के अनुरूप ।**

**A. अभ्यर्थी के पास**

(i) अभियंत्रण की संबंधित शाखा से नियमित पाठ्यक्रम की डिग्री :–

क. केन्द्रीय या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा भारत में निगमित कोई विश्वविद्यालय या,

ख. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान, या

ग. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित, या

घ. द इन्स्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बरशिप परीक्षा के खण्ड 'ए' एवं 'बी' में उत्तीर्ण

(ii) ऐसे अन्य समतुल्य अहर्त्ता जिसे उक्त परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या दी जा सकेगी, या

(iii) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था से अभियंत्रण में डिग्री और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर मान्यता प्राप्त हो सके।

**(A) A candidate shall possess:-**

I. A degree of regular course in respective branch of Engineering from:

**a.** University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India ; or

**b.** An Institution recognized by AICTE or,

**c.** an educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under section 3 of the university Grant Commission Act, 1956 ; or

**d.** the Institution of Engineers (India) having passed section 'A' & 'B' of the associate membership examination.

II. Such other equivalent qualification as have been or may be recognized by the Government for the purpose of admission to the said examination ; or

III. A degree in respective branch of Engineering from such foreign University or College or Institution and under such conditions as may be recognized by the. Government for the purpose from time to time.

**10. आरक्षण का लाभ :–**

(I)प्रारंभिक परीक्षा के **Online** आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा कोटि का दावा अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(II) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6763 दिनांक–05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(III) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(i) **अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति** :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि** के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) **पिछड़ा वर्ग-II एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I** :–

झारखण्ड राज्य के **पिछड़ा वर्ग-II** एवं **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए**:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या—1433 दिनांक—15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(g) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—1709 दिनांक—12.09.2007 द्वारा श्रेणी —II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :—

| प्रतियोगिता का स्तर | उपलिब्ध |
|---|---|
| (i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता। | मेडल |
| (ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता। | प्रथम स्थान |
| (iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। | विश्व रिकार्ड |

11. **परीक्षा का स्वरूप**:— आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

**A. प्रारंभिक परीक्षा :—**

i. प्रारंभिक परीक्षा में दो पत्र 100—100 प्रश्नों के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Multiple Choice Objection Type) होंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न द्विभाषिक (Bilingual) अंग्रेजी एवं हिन्दी में होंगे जबकि ऐच्छिक विषय अभियन्त्रण के प्रश्न मात्र अंग्रेजी भाषा में होंगे।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) पत्र—I | सामान्य अध्ययन | अंक—100 | समय दो घन्टे |
| (ii) पत्र—II | ऐच्छिक विषय (अभियंत्रण) | अंक—200 | समय दो घन्टे |

ii. **पाठ्यक्रम**
प्रथम पत्र (सामान्य अध्ययन) एवं द्वितीय पत्र (ऐच्छिक विषय अभियंत्रण) के प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 में इन विषयों के लिए निर्धारित मुख्य (लिखित) परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे।

iii. यह परीक्षा मात्र Screening Test होगी। इसका प्राप्तांक मेधा निर्धारण में शामिल नहीं होगा।

iv. मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध 10 (दस) गुणा उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

**B.** **मुख्य (लिखित) परीक्षा** :

1. **भाग—I**-मुख्य (लिखित) परीक्षा दो भागों में होगी। खण्ड—I में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और खण्ड—2 में परम्परागत प्रश्न होंगे। दोनों भागों में संगत अभियंत्रण शाखाओं, जैसे असैनिक, यांत्रिक अभियंत्रण का पूरा पाठ्यक्रम होगा। इन प्रश्न पत्रों के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। मुख्य (लिखित) परीक्षा का विवरण, यथा प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित समय एवं अधिकतम अंक नीचे की कंडिका—2 में दिये गये हैं।

2. मुख्य (लिखित) परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :–

**I. असैनिक अभियंत्रण**

| विषय | अवधि | पूर्णांक | |
|---|---|---|---|
| **खण्ड–1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र** | | | |
| **1.सामान्य योग्यता परीक्षा**<br>भाग कः सामान्य अंग्रेजी<br>भाग खः सामान्य अध्ययन | 2 घंटे | 200 | |
| **2.असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-I** | 2 घंटे | 200 | |
| **3.असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-II** | 2 घंटे | 200 | |
| **खण्ड–2 परंपरागत प्रश्न पत्र** | | | |
| **4.असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-I** | 3 घंटे | 200 | |
| **5.असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-II** | 3घंटे | 200 | |
| | | **योग** | **1000** |

**II. यांत्रिक अभियंत्रण**

| विषय | अवधि | पूर्णांक | |
|---|---|---|---|
| **खण्ड–1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र** | | | |
| **1.सामान्य योग्यता परीक्षा**<br>भाग कः सामान्य अंग्रेजी<br>भाग खः सामान्य अध्ययन | 2 घंटे | 200 | |
| **2.यांत्रिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-I** | 2 घंटे | 200 | |
| **3.यांत्रिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-II** | 2 घंटे | 200 | |
| **खण्ड–2 परंपरागत प्रश्न पत्र** | | | |
| **4.यांत्रिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-I** | 3 घंटे | 200 | |
| **5.यांत्रिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र-II** | 3 घंटे | 200 | |
| | | **योग** | **1000** |

3.**भाग 2(व्यक्तित्व परीक्षण)**–मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी का व्यक्तित्व परीक्षण अधिकतम 200 अंकों का होगा।

4. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय अभ्यर्थी की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा बौद्धिक क्षमता, व्यवहार कुशलता एवं अन्य सामाजिक गुण, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता और सत्य निष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. परंपरागत प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाऐंगे। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे।

6. अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हाथ से स्वयं लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि Locomotor disability/cerebral palsy से ग्रस्त (न्यूनतम 40 प्रतिशत अशक्तता) अभ्यर्थी को परम्परागत प्रश्न पत्रों की परीक्षा में प्रति घंटे बीस मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाएगी।

7. परीक्षा में किसी एक या सभी प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 एवं संकल्प संख्या–7358 दिनांक–12.09.2019 के अनुरूप किया जायेगा। परीक्षा की योजना के खण्ड–1 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र पहले जाँचे जायेंगे तथा परीक्षा की योजना के खण्ड–2 में दिये गये परंपरागत प्रश्न पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों के जाँचे जाएंगे, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लिया हो।

8. प्रश्न पत्रों में यथा आवश्यक एस0आई0 यूनिट का प्रयोग किया जाएगा।

**टिप्पणी–** जहां आवश्यक समझाा जायेगा अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में मानक एस0आई0 सारणी/चार्ट उपलब्ध कराई जायेगी।

9. अभ्यर्थियों को परंपरागत (निबंध) प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उसका उपयोग करने की अनुमति होगी। परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यहां यह भी ध्यातव्य हो, कि अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अतएव वे इन्हें परीक्षा भवन में नहीं लायें।

10. अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करेंगे।

1. The Examination shall be conducted according to the following plan:-
   **Part I** – The Main (written) Examination will comprise of two sections Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Civil Engineering, Mechnical Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the Main (written) examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given in para 2 below.
2. The following will be the subjects for the Main (written) examination:-

**CIVIL ENGINEERING**

| Subject | Duration | Maximum Marks |
|---|---|---|
| **Section I-Objective Papers** | | |
| **1.General Ability Test**<br>(Part A: General English)<br>(Part B: General Studies) | 2 hrs. | 200 |
| **2.Civil Engineering-Paper I** | 2 hrs. | 200 |
| **3.Civil Engineering-Paper II** | 2 hrs. | 200 |
| **Section II– Conventional Papers** | | |
| **4.Civil Engineering – Paper I** | 3 hrs. | 200 |
| **5.Civil Engineering – Paper II** | 3 hrs. | 200 |
| | **Total** | **1000** |

**MECHANICAL ENGINEERING**

| Subject | Duration | Maximum Marks |
|---|---|---|
| **Section I-Objective Papers** | | |
| **1.General Ability Test**<br>(Part A: General English)<br>(Part B: General Studies) | 2 hrs. | 200 |
| **2.Mechanical Engineering-Paper I** | 2 hrs. | 200 |
| **3.Mechanical Engineering-Paper II** | 2 hrs | 200 |
| **Section II-Conventional Papers** | | |
| **4.Mechanical Engineering-Paper I** | 3 hrs. | 200 |
| **5.Mechanical Engineering- Paper II** | 3 hrs. | 200 |
| | **Total** | **1000** |

**3.Part II**-(Personality test)-Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the Main (written) examination.

4. In the Personality Test special attention will be paid to assess the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.
5. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, an extra time of twenty minutes per hour shall be permitted for the candidates with locomotor disability/cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of functions (minimum of 40% impairment) in the conventional type paper.

7. The minimum qualifying marks shall be fixed in any or all the papers of the examination in accordance with the resolution no. 13026 dated 27.11.2012 of the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand. The Objective Type papers as contained in Section-I of the Plan of the Examination will be evaluated first and evaluation of the Conventional Type Papers contained in Section-II of the Plan of Examination will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Objective Types Papers, as fixed by the Commission.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. In the question papers, wherever required, SI units will be used.

   **NOTE** : Candidates will be supplied with standard tables/charts in SI units in the Examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay)type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering Objective Type Paper (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

11. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g.1,2,3,4,5,6, etc.) while answering question papers.

12. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–**

(a) **Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है किन्तु ऑनलाईन आवेदन में प्रमाण पत्रों से संबंधित कॉलम में सभी वांछित सूचनाएं सही–सही आंकित करना है।** प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के द्वारा कंडिका–**12(q)** में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) **मुख्य परीक्षा के पूर्व Online आवेदन की प्रति के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सूचना प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जायेगी।** Hard Copy **जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(b) साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान **Online** आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित प्रमाण पत्र/अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा **अन्यथा औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।**

(c) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(d) अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। **एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

(e) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.– 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(f) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में **सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक** संपर्क किया जा सकता है:–

(g) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**0651/2213009** पर संपर्क किया जा सकता है।

(h) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(i) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर आवेदन पत्र के शेष कॉलम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों **(BLOCK LETTERS)** में ही भरा होना चाहिए।

(j) आवेदक अपना नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी **(Spelling)** वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

(k) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(l) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के निर्धारित कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करेंगे।

(m) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(n) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(o) **अभ्यर्थी द्वारा Online आवेदन में दी गई सूचनाएँ एवं तदनुरूप मुख्य परीक्षा के पूर्व Online आवेदन की प्रति के साथ समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(p) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में सही–सही सूचना प्रविष्ट करते हुए संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (**कंडिका–12(q)** के अनुसार अनिवार्य रूप से संलग्न कर मुख्य परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि तक समर्पित करेंगे। **भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।**

(q) ***अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व Online आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे:–***

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक/10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र

(ii) इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।

(iii) अभियंत्रण की संबंधित शाखा में तकनीकी स्नातक (B.Tech/B.E) उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ।

(iv) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)

(v) EWS का विहित प्रपत्र में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र।

(vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता दावा हेतु)

(vii) भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)

(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(ix) खेल–कूद प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

13. परीक्षा शुल्कः–

(A) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(B) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(C) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(D) पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या–06/2015 के विरूद्ध आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पूर्व में किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान संबंधी चलान नम्बर/बैंक रिफरेन्स नम्बर/ट्रांजेक्शन नम्बर ऑनलाईन आवेदन पत्र में यथास्थान अंकित करना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति के साथ भुगतान संबंधी साक्ष्य की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(E) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र का विवरण **Online** आवेदन में प्रविष्ट करना एवं मुख्य परीक्षा के पूर्व **Online** आवेदन की प्रति के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(F) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

14. (i) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–</u>

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

**(ii) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :–**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**15. अंतिम तिथि :–**

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक–15.10.2019** सुबह **10:00 बजे** से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भरा जा सकेगा।

(ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से **दिनांक–11.11.2019 रात्रि 11:45 बजे** तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

(ग) **दिनांक–11.11.2019 के बाद दिनांक–13.11.2019** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।